निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–59/21
दायरा दिनांक :–20.04.2021
निर्णय दिनांक :– 30.06.22

उनवान

तुलसीराम सोमानी पुत्र श्री कन्हैयालाल आयु 63 वर्ष जाति महाजन निवासी जवाहर नगर झालावाड़ रोड बारां तह0 बारां जिला बारां राज0. ....**वादी**

बनाम

1.हेमराज पुत्र चतरा आयु 45 साल जाति माली नि0 खैराली तह0 व जिला बारां
2.इन्द्रबाई पत्नी स्व. लेखराज आयु 50 साल
3.कुलदीप पुत्र स्व0 लेखराज आयु 26 साल
4.प्रदीप पुत्र स्व0 लेखराज आयु 18 वर्ष 6माह
5.रीना पुत्री स्व0 लेखराज आयु 23 वर्ष
6.दीपिका पुत्री स्व0 लेखराज आयु 21 वर्ष जातियान माली निवासीगण खैराली तह0 एवं जिला बारां राज0
7.प्रेमबाई पत्नी स्व0 मुलचन्द आयु 50 वर्ष जाति माली नि0 खैराली तहसील बारां
8.दिलखुश पुत्र स्व0 मुलचन्द आयु 18 वष
9.हर्षिता पुत्री स्व0 मुलचन्द आयु 27 वर्ष
10.सविता पुत्री स्व0 मुलचन्द आयु 23 वर्ष
11.मनीषा पुत्री स्व0 मुलचन्द आयु 20 वर्ष
12.संगीता पुत्री स्व0 मुलचन्द आयु 15 नाबालिक जर्ये वली स्वंय प्रेम बाई पत्नी स्व0 मूलचन्द जाति माली नि0 खैराली तहसील बारां जिला बारां।
13.ललता पुत्री चतरा जाति माली निवासी खैराली तह0 एवं जिला बारां
14.निर्मला पुत्री चतरा पत्नि मनफुल जाति माली नि0 अर्जुनपुरा कोटा जिला कोटा राज0
15.मांगी पत्नी स्व0 चतरा जाति माली निवासी खैराली तहसील एवं जिला बारां।
16.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 ....**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91 एवं 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय 30.06.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1.श्री [illegible] गालव एड0 – वादी
2.श्री [illegible] चतुर्वेदी एड0 – प्रतिवादी
3.श्री [illegible] मोहन नागर एड0 – प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91 एवं 188 आर. टी.ए.एक्ट. विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया यह कि वादी के स्वामित्व खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी वाके माल खैराली तह0 बारां जिला बारां राज0 मे ख0न0 415 रकबा 1.28 है0 बरानी प्रथम लगानी 14.08 रू. स्थित है, जिसे आगे वाद मे वादग्रस्त आराजी कहा गया है। प्रति0 को पारिवारिक सम्पत्ति वाके माल ग्राम खैराली तह0 बारां जिला बारां मे थी जो पूर्वज चतुरा जी के फोत हो जाने के बाद हेमराज, लेखराज,मुलचंद पुत्रगण ललता,निर्मला पुत्रिया एवं मांगीबाई पत्नि स्व0 चतरा को विभाजित हुयी।

ख0न0 415 मे से रकबा 1.28 है0 आराजी हेमराज प्रति0क0। की प्राप्त हुयी थी एवं इस ख0न0 415 मे अन्य का भी हिस्सा था तथा बंटवारा व नाप करके सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये थे।, हेमराज के हिस्से मे ख0न0 415 की रकबा 1.28 हे0 जमीन/आराजी उक्त खेत की दक्षिण की तरफ की मेड के पास वाली जमीन थी, उसी पर वह काबिज काश्त करता था। एवं उसी जगह दहक्षणी मेड के पास की 1.28 है0 आराजी को हेमराज द्वारा वादी की जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2008 को बैचान कर कब्जा वादी को समहला दिया था जब से वादी ख0न0 415 के 1.28 खेत के दक्षिणी तरफ पर काबिज है, एवं निरंतर व निर्बाधित रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान मे भी वादी ही काबिज है, तथा उत्तरी मेड के पास वाली जमीन पर प्रति0 मुलचंद काबिज है। विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से पर प्रति0 काबिज है, एवं समस्त प्रति0 की जानकारी होते ही प्रति हेमराज ने उसके हिस्से व कब्जे की आराजी की वादी को बेचान किया है जिसपर वादी काबिज है। आज तक किसी को कोई आपत्ति नही है।

सहवन से नक्शा ट्रेस मे गलत अंकन हो गया है एवं दक्षिणी दिशा में अंतिम हिस्सा ख0न0 415 का रकबा 1.28 है0 दर्ज होना चाहिए था, जिसके बजाय वह राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में उत्तरी ओर दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। ख0न0 415 के स्थान पर मुलचंद एवं ललिता व निर्मला प्रति का हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये तथा मि0 415 वादी के कब्जे वाले हिस्से मे बनाऐ है, उन्हे अन्यत्र उनके कब्जे की जगह पर दर्ज किया जाना चाहिये। इस कारण वादी उक्त हिस्से को अपना घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड मे सही अंकन दर्ज करवाने की घोषणा कराने का अधिकारी है। तथा अन्य प्रति0 जहा पर काबिज है, वहा उनके हिस्से दर्ज किये जाये। खातेदार लेखराज पुत्र चतरा एवं मुलचंद पुत्र चतरा का स्वर्गवास हो गया है, परन्तु अभी उनके वारिसान के नाम इंतकाल नही खोला गया है, इस कारण उनके वारिसो को उनके स्थान पर प्रति0 बनाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार नक्शा ट्रेस मे वादी अंकन को व दक्षिणी ओर अंतिम हिस्से पर ख0न0 415 रकबा 1.28 हे0 वादी का हिस्सा होने का करने मे किसी भी प्रतिवादी को

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कोई आपत्ति नही है। नक्शा ट्रेस की त्रुटि का वादी को ज्ञान नही था। अभी कुछ समय पूर्व वादी के कब्जे की आराजी मे नहर की मुडिडया गाडने पर तथा जमीन अधिग्रहण करने व मुआवजा भुगतान करने को सूचना वादी को नही मिलने पर वादी ने भूमि अवाप्ति बारां से सम्पर्क कर आवेदन दिया एवं जानकारी चाही तो दिनांक 15.01.2021 को उन्होने इंजिनियर मौके पर भेजा व देखकर बताया कि वादी के कब्जे काश्त का उक्त हिस्सा मे नक्शा ट्रेस मे प्रति0 ललता व निर्मला का अंकन है, इस कारण उनके नाम नोटिस दिया एवं मुआवजा भी उनके नाम से जारी होगा। तब वादी को सर्व प्रथम जानकारी हुयी है।

वादी के कब्जे व स्वामित्व की करीबन 2.25 बीगा जमीन मे मुडडी गाडी है, एवं अवाप्त हुयी है, परन्तु नक्शा ट्रेस गलती के कारण वादी के नाम मुआवजे की सूची मे सम्मिलित नही हुआ है, जबकि उक्त आराजी अवाप्त भूमि का मुआवजा पाने का अधिकारी वादी है। वादी इस बाबत भी घोषणा कराने व प्रति0 ललता व निर्मला की उक्त भूमि का मुआवजा ना देकर वादी को दिलाऐ जाने कि घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है।प्रति0 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी के कब्जे काश्त के हिस्से पर काश्त व्यवस्था करने मे किसी प्रकार का व्यवधान न करे उक्त आराजी का रहन,बेचान मुंतकिल नही करे तथा नहर मे अवाप्त हिस्से का मुआवजा प्राप्त नही करे वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1ता 6व13,14 की ओर से इकवाली जवाब पेश हुआ प्रतिवादी कम 7 ता 12 की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम खेराली सम्वत 2073–76 खाता सं. 135, नकल जमाबन्दी ग्राम खेराली सम्वत 2073–76 खाता सं. 393,नकल जमाबन्दी ग्राम खेराली सम्वत 2073–76 खाता सं0 398,नकल जमाबन्दी ग्राम खेराली सम्वत 2073–76 खाता सं. 184, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खेराली फोटो प्रति नामा. सं. 297 ग्प्रम खेराली पेश किया गया। साक्ष्य वादी मे तुलसीराम, जोधराज,ललता,निर्मला,हेमराज का शपथ पत्र पेश हुए।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि वादी के स्वामित्व, खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम खेराली तह0 बारां मे ख0न0 415 रकबा 1.28 हे0 स्थित है। प्रति0 की पारिवारिक सम्पति ग्राम खैराली तह0 बारां मे थी जो पूर्वज चतुरा जी के फौत हो जाने के बाद हेमराज,लेखराज,मूलचन्द पुत्र ललता,निर्मला पुत्रिया एवं मांगीबाई पत्नि स्व0 चतरा को विभाजित हुई। प्रतिवादी हेमराज के हिस्से मे ख.नं. 415 रकबा 1.28 हे0 की भूमि आई। जो उक्त खेत कि दक्षिणी [illegible] जमीन थी। जिस पर हेमराज काबिज काश्त करता था। वही जमीन हेमराज [illegible] को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 15.10.2008 को बेचान कर कब्जा वादी को [illegible] ख0न0 415 रकबा 1.28

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

हे0 दक्षिणी तरफ पर काबिज है। सहवन से नक्शा ट्रेस मे दक्षिणी दिशा के स्थान पर उत्तरी दिशा मे ख0न0 415 रकबा 1.28 दर्ज हो गया है। वादी कि भूमि नक्शा ट्रेस मे अंकन करने व दक्षिणी ओर अंकित हिस्से पर 415 रकबा 1.28 हे0 वादी का हिस्सा होना दुरूस्त किया जावे प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किया है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी का वाद स्वीकार करने मे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073-76 खाता सं0 135 तुलसीराम पुत्र कन्हैयालाल के खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073-76 खाता सं0 184 के अनुसार निर्मला पुत्री चतरा माली के खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073-76 खाता सं0 398 मे निर्मला मूलचंद लेखराज ललताबाई हेमराज का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073-76 खाता सं0 393 मे ललता पुत्री चतरा का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खैराली के अनुसार ख न 415 उत्तरी तरफ दर्ज है तथा अन्य ख0न0 दक्षिणी तरफ प्रतिवादीगण के दर्ज कर दिये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। इससे यही साबित होता है कि वादी की भूमि का नक्शा ट्रेस मे गलत अंकन कर दिया जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। नक्शा को दुरूस्त कराने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खैराली तह0 बारां के ख.न. 415 के रकबा 1.28 हे0 भूमि के उत्तरी हिस्से के स्थान पर दक्षिणी हिस्से पर मेड़ के पास नक्शा में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। शेष खातेदारान को उत्तरी तरफ अंकित किया जावे। भूमि का मुआवजा वादी को दिया जावे तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 59/21	धारा अन्तर्गत 88,89,90,91,188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :-30.06.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:- श्री मदनलाल गालव एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

तुलसीराम सोमानी पुत्र श्री कन्हैयालाल आयु 63 वर्ष जाति महाजन निवारी जवाहर नगर झालावाड़ रोड बारां तह0 बारां जिला बारां राज0. ....**वादी**

बनाम

1.हेमराज पुत्र चतरा आयु 45 साल जाति माली नि0 खैराली तह0 व जिला बारां
2.इन्द्रबाई पत्नी स्वं. लेखराज आयु 50 साल
3.कुलदीप पुत्र स्वं0 लेखराज आयु 26 साल
4.प्रदीप पुत्र स्वं0 लेखराज आयु 18 वर्ष 6माह
5.रीना पुत्री स्वं0 लेखराज आयु 23 वर्ष
6.दीपिका पुत्री स्वं0 लेखराज आयु 21 वर्ष जातियान माली निवारीगण खैराली
7.प्रेमबाई पत्नी स्वं0 मुलचन्द आयु 50 वर्ष जाति माली नि0 खैराली तहसील बारां
8.दिलखुश पुत्र स्वं0 मुलचन्द आयु 18 वष
9.हर्षिता पुत्री स्वं0 मुलचन्द आयु 27 वर्ष
10.सविता पुत्री स्वं0 मुलचन्द आयु 23 वर्ष
11.मनीषा पुत्री स्वं0 मुलचन्द आयु 20 वर्ष
12.संगीता पुत्री स्वं0 मुलचन्द आयु 15 नाबालिक जर्ये वली स्वंय प्रेम बाई पत्नी स्व0 मूलचन्द जाति माली नि0 खैराली तहसील बारां जिला बारां।
13.ललता पुत्री चतरा जाति माली निवासी खैराली तह0 एवं जिला बारां
14.निर्मला पुत्री चतरा पत्नि मनफुल जाति माली नि0 अर्जुनपुरा कोटा जिला कोटा राज0
15.मांगी पत्नी स्वं0 चतरा जाति माली निवासी खैराली तहसील एवं जिला बारां।
16.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 ....**प्रतिवादीगण**

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं विवादित आराजी वाके ग्राम खैराली तह0 बारां के खं.न. 415 के रकबा 1.28 हे0 भूमि के उत्तरी हिस्से के स्थान पर दक्षिणी हिस्से पर मेड़ के पास नक्शा में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। शेष खातेदारान को उत्तरी तरफ अंकित किया जावे। भूमि का मुआवजा वादी को दिया जावे तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दि[illegible]2 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
	[illegible]/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner